

13/06/24

आर पत्रावली दिनांक 13/06/24 को पेश हो
पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी हाजिर नहीं हैं
तामिले पूर्ण नहीं हैं। बार-बार आवाजे लगवाई
जाने के बावजूद वकीलवादी उपस्थित नहीं हुए।
अतः प्रकरण अदम हाजिरी व अदम पैरवी में
अन्तर्गत 0-9 R-3 जा.दी. के तहत खारिज किया
जाना है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कांड तामिल
दार्किल इफ्तार हो। निर्णय बुले न्यायालय में
सुनसा गया।

उपरखण्ड अधिकारी
गौधर लेक

